संचिका सं0–01 / गैर0प्रा0आ0–01 / 2010 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
शिवहर।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **हार्ड वोल्टेज विद्युत तार के प्रभाव से फसल जलने के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक–139 / आ0प्र0 दि0–04.07.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि अग्निकांड की घटना का कारण जो भी हो वह प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में ही माना जाता है। किसी घर के चुल्हे से उड़ती चिंगारी से लगी आग, शार्टसर्किट से लगी आग, बीड़ी सिगरेट इत्यादि बिना बुझाए खेत में फेकनें से लगी आग, को प्राकृतिक आपदा माना गया है।

अतएव, अग्निकांड से पीड़ित व्यक्ति को इस मामले में कृषि इनपुट अनुदान देय होगा।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(अनिरूद्ध कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–......3778........ / आ0प्र0, पटना–15 दि0– 30/9/15

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी (शिवहर जिला को छोड़कर), बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

D:\2015\Sanjay Sinha\letter 28-9-15 sep. sec..docx